प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, श्रीगंगानगर थाना :– प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :–..... 2023.....
प्र0सू0रि0 सं .....176/2023.....दिनांक.....6/7/2023.....

2. (1) अधिनियम... भ्र.नि अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018).....धाराए ..... 7 .....
(2) अधिनियम.....धाराए.....
(3) अधिनियम.....धाराए.....
(4) अन्य अधिनियम एवं .....धाराएं.....

3. (क) घटना का दिन :– बुधवार .....दिनांक :–...05.07.2023.....समय : 12.20 पीएम.....
(ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :–.....28.06.2023.....समय : 05.15 पीएम.....
(ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या .....639..... समय.....3:45PM.....

4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित/मौखिक) लिखित

5. घटनास्थल का ब्यौरा :–
(क) थाने से दिशा एवं दूरी – चौकी से दक्षिण पश्चिम दिशा बफासला करीब 120 किमी
बीट संख्या.....जुरामदेही सं.....
(ख) पताः– कार्यालय राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खण्ड अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर ।
(ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस
थाने का नाम..... जिला .....

6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–
(क) नाम :– श्री कुलवंत सिंह
(ख) पिता/पति का नाम :– श्री गजन सिंह
(ग) जन्म तिथि/उम्र :– 45 वर्ष
(घ) राष्ट्रीयता – भारतीय
(ड़) पासपोर्ट संख्या.....जारी करने की तिथि.....जारी करने का स्थान.....
(च) व्यवसायः– ठेकेदारी
(छ) पता :– निवासी चक 55 एल0एन0पी0 तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर ।

7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–
1. सतीश बंसल पुत्र श्री लक्ष्मण प्रसाद बंसल जाति अग्रवाल उम्र 57 साल निवासी म.न. 437 बरकतनगर, जयपुर हाल निवास म.न. 92/77 पटेलनगर, मानसरोवर जयपुर हाल अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड खण्ड अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।

8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं

9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्ठया(यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).....
परिवादी कुलवन्त सिंह से उसकी फर्म कमल एण्ड कम्पनी द्वारा बुढाजोहड़ से चक 15 एनआरडी तक करवाये जा रहे डामर रोड़ के प्रथम रनिंग बिल के भुगतान की एवज में आरोपी सतीश बंसल अधिशाषी अभियंता, रा0रा0 कृषि विपणन बोर्ड खण्ड अनूपगढ द्वारा बिल राशि का 2 प्रतिशत करीबन 70 हजार रूपये तथा पूर्व में रायसिंहनगर कृषि उपज मण्डी में करवाये गये यार्ड वर्क के 30 हजार रूपये कुल एक लाख रूपये रिश्वत की मांग कर वक्त सत्यापन परिवादी से 75 हजार रूपये लेना तथा शेष 25000/रूपये दिनांक 05.07.23 को परिवादी से लेने पर आरोपी को रंगे हाथो गिरफ्तार करना आदि आरोप है।

10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्य :– .....25,000/रू.....
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो).....
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय वस्तु :–
सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर। विषय :– भ्रष्ट एक्सईएन के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने बाबत। महोदय, निवेदन है कि मै कुलवन्त सिंह पुत्र श्री गजन सिंह जाति कुम्हार उम्र 45 साल निवासी चक 55 एल0एन0पी0 तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला हूँ। मै कृषि विपणन बोर्ड में ठेकेदारी का कार्य करता हूँ, मेरी फर्म कमल एण्ड कम्पनी, दुकान न. 72 धानमण्डी रिड़मलसर में

ऑफिस है, जिसका मै स्वयं प्रोपराईटर हूँ। मेरी फर्म को अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खण्ड अनूपगढ द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति रायसिंहनगर में यार्ड वर्क का कार्यादेश जारी किया गया था, उक्त कार्य माह मार्च 2023 में पूर्ण किया जाकर अंतिम बिल का भुगतान प्राप्त किया जा चुका है। इसी प्रकार मेरी फर्म को अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, अनूपगढ द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति रायसिंहनगर के गांव बुढा जोहड़ से चक 15 एनआरडी की 2.5 किलोमीटर डामर रोड़ बनाने का कार्यादेश राशि करीब 72 लाख रूपये का दिनांक 11.02.23 को जारी किया गया था, उक्त रोड़ का प्रथम रंनिग बिल राशि करीब **45 लाख रूपये** है, जिसका समस्त कटौतिया के बाद चैक राशि करीब 35–36 लाख रूपये है, जिसका भुगतान करवाया जाना है, परन्तु श्री सतीश बंसल अधिशाषी अभियंता कृषि विपणन बोर्ड अनूपगढ द्वारा प्रथम रंनिग बिल राशि का 2 प्रतिशत कमीशन करीब 70 हजार रूपये तथा पूर्व में मंडी यार्ड रायसिंहनगर में करवाये गये कार्य के कमीशन के तौर पर करीब 30 हजार रूपये कुल राशि एक लाख रूपये रिश्वत की मांग की जा रही है। मै मेरे जायज काम के बदले सतीश बंसल एक्सईएन को रिश्वत के रूप में कमीशन राशि 1,00,000/–(एक लाख रू0) नही देकर उसे रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूँ। मेरी सतीश बंसल एक्सईएन से कोई रंजिश नही है, ना ही कोई रूपयो का लेन देन बकाया है। रिपोर्ट देता हूँ, कृपया कानूनी कार्यवाही करे। 28.06.23 एसडी कुलवन्त सिंह पुत्र श्री गजन सिंह निवासी चक 55 एल0एन0पी0, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर मो.न. 98877–94558

कार्रवाई पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 28.06.23 वक्त 05.15 पीएम पर परिवादी कुलवन्त सिंह पुत्र श्री गजन सिंह जाति कुम्हार उम्र 45 साल निवासी चक 55 एल0एन0पी0 तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर ने स्वयं चौकी भ्रनिब्यूरो श्रीगंगानगर–प्रथम पर उपस्थित होकर श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक को एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिस पर श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक महोदय ने मन उप अधीक्षक पुलिस को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी कुलवंत सिंह से मिलवाया व परिवादी का प्रार्थना पत्र मेरे सुपुर्द कर अग्रिम कार्यवाही के निर्देश दिये। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सही होना एवं प्रार्थना पत्र **अपनी हस्तलिपी** में लिखित होकर उस पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी ने मजीद दरियाफ्त पर बताया कि मै कृषि विपणन बोर्ड में ठेकेदारी का कार्य करता हूँ तथा मेरी कमल एण्ड कम्पनी नाम की फर्म है, जिसका मै प्रोपराईटर हूँ। मेरी फर्म को अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खण्ड अनूपगढ द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति रायसिंहनगर में यार्ड वर्क का कार्यादेश मिला था, जिसे माह मार्च 2023 में पूर्ण किया जाकर अंतिम बिल का भुगतान प्राप्त किया जा चुका है। इसी प्रकार मेरी फर्म को अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, अनूपगढ द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति रायसिंहनगर के गांव बुढा जोहड़ से चक 15 एनआरडी की 2.5 किलोमीटर डामर रोड़ बनाने का कार्यादेश राशि करीब 72 लाख रूपये का दिनांक 11.02.23 को जारी किया गया था, उक्त रोड़ का प्रथम रंनिग बिल राशि करीब **45 लाख रूपये** है, जिसका समस्त कटौतिया के बाद चैक राशि करीब 35–36 लाख रूपये है, जिसका भुगतान करवाया जाना है, परन्तु श्री सतीश बंसल अधिशाषी अभियंता कृषि विपणन बोर्ड अनूपगढ द्वारा प्रथम रंनिग बिल राशि का 2 प्रतिशत कमीशन करीब 70 हजार रूपये तथा पूर्व में मंडी यार्ड रायसिंहनगर में करवाये गये कार्य के कमीशन के तौर पर करीब 30 हजार रूपये कुल राशि एक लाख रूपये रिश्वत की मांग की जा रही है। मै मेरे जायज काम के बदले सतीश बंसल एक्सईएन को रिश्वत के रूप में कमीशन राशि 1,00,000/–(एक लाख रू0) नही देकर उसे रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूँ। मेरी सतीश बंसल एक्सईएन से कोई रंजिश नही है, ना ही कोई रूपयो का लेन देन बकाया है। इस प्रकार परिवादी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व मजमून दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आना पाये जाने से परिवादी को उसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आरोपी द्वारा रिश्वत मांगने के आरोपो का सत्यापन करवाने हेतु कहा गया तो उसने कहा कि मै एक दो दिन में आरोपी से रिश्वत के सम्बधं में बातचीत कर रिश्वत मांग का सत्यापन करवा दूंगा। इस पर परिवादी को कार्यालय का डिजीटल टेप रिकॉर्डर उपयोग में लेने की विधि समझाकर श्री आशीष कुमार कानि0 303 से परिचय करवाया गया एवं दोनो के एक दूसरे के मोबाईल नम्बर दिलवाकर सत्यापन कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये। तत्पश्चात परिवादी को हिदायत कर रूख्सत किया गया। दिनांक 30.06.2023 को परिवादी श्री कुलवंत सिंह ने मन उप अधीक्षक पुलिस को जरिये दूरभाष अवगत करवाया कि कल मैं मेरे भुगतान के सम्बधं में आरोपी से मिलूंगा, उसी समय आरोपी से रिश्वत के सम्बधं में बातचीत कर रिश्वत मांग का सत्यापन करवा दूंगा। जिस पर परिवादी को कल सुबह 8.30 एएम पर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आने की हिदायत दी गई। दिनांक 01.07.2023 वक्त 08.30 एएम पर परिवादी श्री कुलवंत सिंह ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया एवं बताया कि आज मै आरोपी से मेरे प्रथम रनिंग बिल का चैक कटवाउंगा, वह बिना कमीशन (रिश्वत) के पैसे लिये चैक नही काटेगा, इसलिये मुझे उसे उसके द्वारा मांगी जा रही राशि में से कुछ रूपये देने पड़ेगे। जिस पर परिवादी को मुनासिब हिदायत दी गई तथा वक्त 9.15 एएम पर परिवादी श्री कुलवंत सिंह के साथ श्री आशीष कुमार कानि. 303 को कार्यालय का डिजीटल टेप रिकॉर्डर सुपुर्द कर आवश्यक निर्देश देकर प्रकरण हाजा में गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन करवाने हेतु बजानिब अनूपगढ की ओर रवाना किया गया। वक्त 04.30 पीएम पर गोपनीय सत्यापन में गया हुआ श्री आशीष कुमार कानि0 ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया, जिसने बताया कि मै व परिवादी श्री कुलवंत सिंह परिवादी की निजी कार से रवाना होकर कृषि उपज मण्डी समिति अनूपगढ के नजदीक पहूंचे, जहां परिवादी को मैने डिजीटल टेप रिकॉर्डर चालु करके सुपुर्द कर कृषि उपज मण्डी समिति अनूपगढ की ओर रवाना करते हुये मै गोपनीय स्थान

पर मुकिम हो गया था। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री कुलवंत सिंह बाहर आया एवं मुझे डिजीटल टेप रिकॉर्डर सुपुर्द कर बताया कि मेरी आरोपी सतीश बंसल एक्सईएन से मेरे काम के सम्बधं बातचीत हो गई है, जिसने मेरे बुढाजोहड़ वाले काम के प्रथम रनिंग बिल का चैक राशि 35.83 लाख रूपये का काटते हुये मेरे से इस राशि का दो प्रतिशत कमीशन के हिसाब से 71 हजार रूपये व पिछले काम के 30 हजार कुल राउण्ड फीगर में एक लाख रूपये रिश्वत की मांग की, जिस पर मेरे द्वारा पहले 50,000/रूपये दिये गये, तब उसके द्वारा नही मानने पर 25,000/रूपये और दिये गये, इस प्रकार कुल 75,000/रूपये सत्यापन के दौरान मेरे द्वारा आरोपी को दिये गये है तथा शेष 25,000/रूपये दिनांक 05.07.23 को दिया जाना तय हुआ है। आज मुझे जरूरी कार्य है, मै आपके साथ श्रीगंगानगर नही जा सकता। आईंदा उपस्थित हो जाउंगा। जिस पर श्रीमान के निर्देशानुसार परिवादी को वही छोड़ते हुये मै रवाना होकर हाजिर चौकी आया हूँ। जिस पर डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा सुना गया तो रिकॉर्ड वार्ता में रिश्वत मांग की पुष्टि होना पाया गया। मन उप अधीक्षक पुलिस ने डिज़ीटल टेप रिकॉर्डर खुद की सुरक्षा में लिया। आईंदा परिवादी के उपस्थित आने पर फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार की जायेगी। दिनांक 04.07.23 वक्त 1.45 पीएम पर परिवादी श्री कुलवंत सिंह ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया। परिवादी श्री कुलवंत सिंह ने बताया कि दिनांक 01.07.23 को मै व श्री आशीष कुमार कानि0 मेरी कार से श्रीगंगानगर से रवाना होकर कृषि उपज मण्डी समिति अनूपगढ के नजदीक पहूंचे, जहां पर आशीष कुमार ने मुझे डिजीटल टेप रिकॉर्डर चालु कर मुझे दे दिया, जिस पर मै कृषि उपज मण्डी समिति अनूपगढ के पास स्थित राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड कार्यालय में जाकर आरोपी श्री सतीश बसंल एक्सईएन से मिला व मेरे काम के सम्बधं बातचीत की, जिसने मेरे बुढाजोहड़ वाले काम के प्रथम रनिंग बिल का चैक राशि 35.83 लाख रूपये का काटते हुये मेरे से इस राशि का दो प्रतिशत कमीशन के हिसाब से 71 हजार रूपये व पिछले काम के 30 हजार कुल राउण्ड फीगर में एक लाख रूपये रिश्वत की मांग की, जिस पर मेरे द्वारा पहले 50,000/रूपये दिये गये, तब उसके द्वारा नही मानने पर 25,000/रूपये और दिये गये, इस प्रकार कुल 75,000/रूपये सत्यापन के दौरान मेरे द्वारा आरोपी को दिये गये है तथा शेष 25,000/रूपये दिनांक 05.07.23 को दिया जाना तय हुआ है। उक्त वार्ता मैने डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली थी। फिर यह रिकॉर्ड वार्ता वाला डिजीटल टेप रिकॉर्डर श्री आशीष कुमार कानि0 को दे दिया एवं मै वही अनूपगढ ही रूक गया था। उक्त डिजीटल टेप रिकॉर्डर को रूबरू गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में कार्यालय के कम्प्यूटर पर सुना जाकर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसकिप्ट अलग से तैयार की गई व डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता की कम्प्यूटर से दो सीडी तैयार कर एक सीडी को कपड़े की थैली में डालकर सील मोहर किया गया तथा एक सीडी अनुसंधान प्रयोजनार्थ खुली रखी गई। उक्त रिकॉर्ड वार्ता से रिश्वत मांग की पुष्टि होना पाया गया। परिवादी को दिनांक 05.07.23 को सुबह 8.00 एएम पर उपस्थित आने की हिदायत कर रूख्सत किया गया। वक्त 04.50 पीएम पर अग्रिम कार्यवाही में दो राज्य कर्मचारियों की बतौर गवाह मौजूदगी आवश्यक होने से श्री नरेश कुमार कानि0 को कार्यालय अधीक्षण अभियंता, सा0नि0वि0 श्रीगंगानगर के नाम तहरीर देकर दो सरकारी अधिकारी/कर्मचारियों को पाबंद कर लेने हेतु रवाना किया गया, जो अपने साथ श्री रजत धांधल कनिष्ठ सहायक एवं श्री सूर्यप्रकाश वरिष्ठ सहायक कार्यालय सानिवि श्रीगंगानगर के ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये। जिस पर गवाहो को कल सुबह 8.00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आने की हिदायत कर रूख्सत किया गया। दिनांक 05.07.23 वक्त 8.30 एएम पर परिवादी श्री कुलवंत सिंह व तलविदा गवाह श्री रजत धांधल कनिष्ठ सहायक एवं श्री सूर्यप्रकाश वरिष्ठ सहायक कार्यालय सानिवि श्रीगंगानगर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये। दोनों कर्मचारियों को तलबी का कारण बताकर उनसे कार्यवाही में बतौर गवाह सहयोग की अपेक्षा की तो दोनो गवाहान ने अपनी–अपनी सहमति दी। जिस पर परिवादी श्री कुलवंत सिंह से दोनों गवाहान को आपसी परिचय करवाया गया एवं परिवादी की रिपोर्ट का अवलोकन करवाकर परिवादी की रिपोर्ट का सार बताते हुये सत्यापन के तथ्यों से अवगत करवाया गया। परिवादी श्री कुलवंत सिंह ने बताया कि वह रिश्वत में दी जाने वाली राशि 25,000/रूपये साथ लेकर आया। दिनांक 05.07.23 वक्त 8.45 एएम पर परिवादी श्री कुलवंत सिंह ने निर्देशानुसार अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500–500/–रूपये के 50 नोट कुल 25,000/–रूपये भारतीय मुद्रा के पेश किये। प्रस्तुत नोटों के विवरण निम्नानुसार है:–

.1.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	0PF 746419
2.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	0DL 180052
3.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	2HU 170598
4.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	0BB 647972
5.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	7CS 759158
6.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	0CS 151411
7.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	0TE 931983
8.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	9NB 067084
9.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	4PC 970375
10.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	7RW 694222
11.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	4RK 875036
12.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	6BA 000930
13.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	4BT 644339

14.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	0AQ 077281
15.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	5FE 355752
16.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	0HM 675967
17.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	5MA 518608
18.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	4SE 486787
19.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	5MA 518609
20.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	5VN 048368
21.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	2AN 935835
22.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	4QG 383518
23.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	9VG 262445
24.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	9PF 309188
25.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	8UU 226003
26.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	0CK 293325
27.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	6PC 713433
28.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	7HT 323262
29.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	0UM 147140
30.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	7TQ 300719
31.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	5FE 570390
32.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	2EK 213019
33.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	9DT 340379
34.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	9DU 242250
35.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	2DB 604159
36.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	0UC 963189
37.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	1TT 818001
38.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	7GT 635897
39.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	7PC 262843
40.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	7WL 134140
41.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	7TP 918463
42.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	3FP 997193
43.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	2SB 486956
44.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	8KP 341099
45.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	3WT 834722
46.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	0RC 206074
47.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	0HM 311435
48.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	2WR 617524
49.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	3CN 026923
50.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	4VA 072329

तत्पश्चात श्री रमन दायमा कानि0 से फिनॉफ्थलीन पाउडर की शीशी मालखाना से मंगवाकर उक्त प्रस्तुत 25,000/–रूपये के नोटो पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी एवं गवाहान को दिखाते हुये फिनॉफ्थलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया गया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे। जिस पर **गवाह श्री सूर्यप्रकाश** से परिवादी श्री कुलवंत सिंह की जामा तलाशी करवाकर उसके पास स्वयं का मोबाईल व पहने कपड़ो के अलावा कुछ भी न रहने दिया जाकर, उक्त पाउडर लगे नम्बरी 20,000/रू के नोटो को श्री रमन दायमा कानि0 के जरिये परिवादी के पहनी पेंट की दाहिनी साईड की जेब में सावधानी पूर्वक रखवाकर निर्देश दिये कि वह आरोपी की मांग से पूर्व राशि को हाथ नही लगाये तथा आरोपी के मांगने पर ही उक्त पाउडर युक्त सुपुर्दशुदा राशि निकालकर आरोपी को देवे, आरोपी को रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर दोनो हाथ फिराकर अथवा मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बरो पर मिसड कॉल कर रिश्वत राशि प्राप्ति का ईशारा करें। परिवादी को आरोपी द्वारा रिश्वत राशि रखे जाने के स्थान का भी पूर्ण ध्यान रखने के निर्देश दिये गये। फिर पानी भरे कांच के गिलास में सोडियम कार्बोनेट का रंगहीन घोल बनवाया गया, उसमें श्री मनजीत चलाना कानि0 के हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को धुलवाया गया तो रंग गुलाबी हो गया। जिस पर हाजरीन को घोल गुलाबी होने का कारण एवं उसकी महत्वता एवं उपयोगिता की समझाईश की गयी। बाद समझाईश प्रदर्शन घोल को बाहर फिंकवाया गया व अखबार जिस पर रखकर नोटो पर पाउडर लगाने की कार्रवाई की गई थी, को जलाकर नष्ट किया गया। श्री रमन दायमा कानि0 के हाथो, गिलास को

साफ पानी व साबुन से साफ धुलवाया गया। गवाहान एवं अन्य ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ भी साबुन व पानी से साफ धुलवाए गए एवं ट्रेप बॉक्स में रखी शीशियो व उनके ढक्कनों, चम्मच, कांच के गिलासो को भी वाशिंग पाउडर व साफ पानी से धुलवाये गये। गवाहान को हिदायत दी गई कि वे सह परिवादी व आरोपी के नजदीक रहकर सम्भावित रिश्वत लेन देन को देखने व मौका की वार्ता को सुनने का प्रयास करें। तत्पश्चात रिश्वत लेनदेन के समय की वार्ता रिकार्ड करने के उद्देश्य से चौकी हाजा का डिजीटल टेप रिकॉर्डर परिवादी श्री कुलवंत सिंह को सुपुर्द कर उसे आवश्यक निर्देश दिये गये। उक्त कार्रवाई की अलग से फर्द सुपुर्दगी नोट मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। वक्त 9.30 एएम पर परिवादी श्री कुलवंत सिंह के साथ श्री आशीष कुमार कानि0 व श्री भवानी सिंह कानि0 को परिवादी की निजी कार से रवाना करते हुये पीछे–पीछे मन उप अधीक्षक पुलिस ने स्वतन्त्र गवाह श्री सूर्यप्रकाश वरिष्ठ सहायक व श्री रजत धांधल कनिष्ठ सहायक एवं ब्यूरो स्टाफ के श्री जगदीश राय मु0आ0, श्री संजीव कुमार कानि0, श्री नरेश कुमार कानि0, श्री भंवर राम कानि0, श्री पंकज शर्मा कानि0ड्रा0 मय लेपटॉप–प्रिन्टर एवं ट्रेप बॉक्स साथ लेकर सरकारी बोलेरो एवं निजी कार से गोपनीय कार्यवाही हेतु रवाना होकर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के कृषि उपज मण्डी समिति अनूपगढ के नजदीक गोपनीय स्थान पर वाहनो को रूकवाया गया। जहां पर परिवादी कुलवंत सिंह को आरोपी से सम्पर्क करने राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड कार्यालय की ओर रवाना करते हुये वही ट्रेप जाल बिछाया गया। वक्त 12.20 पीएम पर परिवादी कुलवंत सिंह ने कार्यालय राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड अनूपगढ ने मन उप अधीक्षक पुलिस को अपने मोबाईल से मिसड कॉल देकर ट्रेप का निर्धारित ईशारा दिया, जिस पर पर मन उप पुलिस अधीक्षक मय गवाहान व ब्यूरो स्टाफ सदस्यो के अविलम्ब कार्यालय राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड अनूपगढ में प्रवेश करते हुये दाहिनी ओर के कक्ष जिस पर अधिशाषी अभियंता लिखा हुआ है, में प्रवेश किया तो वहां मौजूद परिवादी कुलवंत सिंह ने सामने कुर्सी पर बैठे हुये अधेड़ उम्र के चश्मा लगे व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यही सतीश बंसल एक्एसईएन साहब है, जिन्होने मेरे से मेरे द्वारा करवाये जा रहे बुढाजोहड़ से 15 एनआरडी तक डामर रोड़ के कार्य के प्रथम रनिंग बिल के भुगतान की एवज में अभी–अभी मेरे से 25,000/रूपये रिश्वत के लेकर अपने पहनी पेट की बांयी साईड की जेब में रख लिये है। जिस पर उक्त व्यक्ति को मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो वह घबरा गया। जिसे तसल्ली दी गई, जिस पर उसने अपना नाम सतीश बंसल पुत्र श्री लक्ष्मण प्रसाद बंसल जाति अग्रवाल उम्र 57 साल निवासी म.न. 437 बरकतनगर, जयपुर हाल निवास म.न. 92/77 पटेलनगर, मानसरोवर जयपुर हाल अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर होना बताया। फिर आरोपी से परिवादी कुलवंत सिंह से सम्बधित कार्य एवं उससे ली गई रिश्वत राशि के सम्बधं में पूछा तो उसने बताया कि साहब श्री कुलवंत सिंह को मैने दो बार 50–50 हजार रूपये माह अप्रेल व मई 2023 में उधार दिये थे, जिसमें से कुलवंत ने मुझे पिछले हफ्ते 75,000/रूपये तथा शेष राशि 25,000/रूपये अभी मुझे दिये है, जो मेरी पेंट की बांयी जेब में रखे है। जिस पर आरोपी सतीश बंसल को परिवादी कुलवंत सिंह को उधार दिये गये 50–50 हजार रूपये की लिखा पढी या ऑन लाईन ट्रांजेक्शन के सम्बधं में पूछा तो आरोपी ने बताया कि मेरे द्वारा कुलवंत को नकद दिये गये थे, जिसकी कोई लिखा पढी नही है। जिस पर मौका पर मौजूद परिवादी श्री कुलवंत सिंह ने रूबरू गवाहान आरोपी की उक्त बात का खण्डन करते हुये स्वतः बताया कि साहब सतीश बंसल एक्एसईएन साहब झुठ बोल रहे है, इनसे मैने कोई रूपये उधार नही लिये, मेरी फर्म को श्री सतीश बंसल अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खण्ड अनूपगढ द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति रायसिंहनगर में यार्ड वर्क का कार्यादेश मिला था, जिसे मेरी फर्म द्वारा माह मार्च 2023 में पूर्ण कर दिया व मेरी फर्म को समस्त भुगतान भी प्राप्त हो गया। अब मेरी फर्म को सतीश बंसल अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, अनूपगढ द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति रायसिंहनगर के गांव बुढा जोहड़ से चक 15 एनआरडी की 2.5 किलोमीटर डामर रोड़ बनाने का कार्यादेश राशि करीब 72 लाख रूपये का दिनांक 11.02.23 को जारी किया गया था, उक्त रोड़ का प्रथम रंनिग बिल राशि करीब 45 लाख रूपये का बना था, जिसका समस्त कटौतिया के बाद चैक राशि करीब 35–36 लाख रूपये का भुगतान करवाने की एवज में आरोपी सतीश बंसल अधिशाषी अभियंता द्वारा 2 प्रतिशत कमीशन करीब 70 हजार रूपये तथा पूर्व में मंडी यार्ड रायसिंहनगर में करवाये गये कार्य के कमीशन के तौर पर करीब 30 हजार रूपये कुल राशि एक लाख रूपये रिश्वत की मांग कर रहा था। जिस पर मेरे द्वारा आपको दिये गये प्रार्थना पत्र पर दिनांक 01.07.23 को करवाये गये रिश्वत मांग सत्यापन में आरोपी सतीश बंसल एक्एसईएन ने मेरे से मेरे बुढाजोहड़ वाले काम के प्रथम रनिंग बिल का चैक राशि 35.83 लाख रूपये का काटते हुये मेरे से इस राशि का दो प्रतिशत कमीशन के हिसाब से 71 हजार रूपये व पिछले काम के 30 हजार कुल राउण्ड फीगर में एक लाख रूपये रिश्वत की मांग की, जिस पर मेरे द्वारा पहले 50,000/रूपये दिये गये, तब उसके द्वारा नही मानने पर 25,000/रूपये और दिये गये, इस प्रकार कुल 75,000/रूपये सत्यापन के दौरान मेरे द्वारा आरोपी को दिये गये है तथा शेष 25,000/रूपये दिनांक 05.07.23 को दिया जाना तय हुआ था, जो आज इन्होने मेरे से 25,000/रूपये अपने हाथ में लेकर अपने पहनी पेंट की साईड की बांयी जेब में रख लिये है, जो उधार की राशि नही होकर रिश्वत में ली गई राशि है। इस पर आरोपी सतीश बंसल को परिवादी द्वारा बताये गये उक्त तथ्यों के सम्बधं में पूछा गया तो वह चुप रहा। उक्त घटनाक्रम से परिवादी कुलवंत सिंह व आरोपी सतीश बंसल के मध्य रिश्वत राशि का आदान–प्रदान होने पर रिश्वत राशि प्राप्त किये जाने के तथ्य की पुष्टि हेतु आरोपी के हाथों आदि का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से आरोपी सतीश बंसल के दोनो हाथो आदि की धुलाई हेतु सरकारी बोलेरो गाड़ी में से ट्रेप बॉक्स मंगवाकर उसमें से दो साफ कांच के गिलासो को साफ धुलवाते हुये उसमें साफ पानी भरवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया, तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। फिर एक गिलास के तैयार घोल में आरोपी सतीश बंसल के दाहिने

हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डूबोकर उक्त घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग **मटमैला** प्राप्त हुआ। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट कर मार्का **'आर–1, आर–2'** अंकित कर सम्बधिंतो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर इसी विधि अनुसार दूसरे कांच के गिलास में सोडियम कार्बोनेट तैयार घोल में आरोपी सतीश बंसल के बांये हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डूबोकर उक्त घोल में धुलवाया गया तो धोवन का **हल्का गुलाबी** प्राप्त हुआ। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट कर मार्का **'एल–1, एल–2'** अंकित कर सम्बधिंतो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर आरोपी से उसके द्वारा ली गई रिश्वत राशि के बारे में पुछा तो उसने अपने पहनी पेंट की साईड की बांयी जेब में होना बताया, जिस पर गवाह श्री सूर्यप्रकाश से आरोपी के पहनी पेंट की साईड की बांयी ज़ेब की तलाशी लिवाई गई तो गवाह ने 500–500/रूपये के नोट निकालकर पेश किये, जिनको गवाह ने गिनकर 500–500/रू के 50 नोट कुल 25,000/रू होना बताया। फिर गवाहो से इन बरामशुदा नोटो का मिलान फर्द सुपुर्दगी नोट देकर उसमें अंकित नोटो के नम्बरो से करवाने पर दोनो गवाहान ने हूबहू रिश्वत राशि वाले नोट होना बताया। बरामदशुदा राशि के नोटो के नम्बरो का विवरण फर्द में अंकित किया गया। उक्त नोटो को मौके पर कपड़े के टूकड़े के साथ सील चिट मोहर कर सम्बधिंत के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर रिश्वत राशि बरामदगी स्थान आरोपी की पहनी बरंग गहरी हरी पेन्ट की साईड की बांयी जेब धुलवाने के लिये एक अलग साफ कांच के गिलास में पूर्वानुसार सोडियम कार्बोनेट का रंगहीन घोल तैयार करवाकर आरोपी बृजलाल के पहनी पेन्ट को उतरवाते हुये व दूसरी पेंट पहनने को दिया जाकर उतरवायी गई पेन्ट के पीछे की बांयी साईड की जेब को उक्त तैयार घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग **गुलाबी** प्राप्त हुआ। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट कर मार्का **'पी–1, पी–2'** अंकित कर सम्बधिंत के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर धुलाई के पश्चात पेन्ट की पीछे की बांयी साईड की जेब को सुखाकर उस पर सम्बधिंत के हस्ताक्षर करवाकर कपड़े की एक थैली में डालकर सील चिट मोहर किया गया। फिर आरोपी सतीश बंसल से परिवादी कुलवंत सिंह की फर्म कमल एण्ड कम्पनी द्वारा करवाये जा रहे बुढाजोहड़ से चक 15 एनआरडी के डामर रोड़ एवं रायसिंहनगर मण्डी में करवाये गये यार्ड वर्क के कार्य से सम्बधिंत कार्यादेश एवं भुगतान पत्रावली बाबत पूछा तो आरोपी ने अपने कार्यालय के श्री प्रदीप सिंह वरिष्ठ सहायक को निर्देशित किये जाने पर श्री प्रदीप सिंह वरिष्ठ सहायक परिवादी की फर्म से सम्बधिंत करवाये जा रहे कार्य की कार्यादेश एवं भुगतान पत्रावली व माप पुस्तिका आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये। जिनका अवलोकन करने पर पाया गया कि अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड अनूपगढ के आदेश कमांक 1111–1121 दिनांक 01.02.23 को राशि 72,24,699/रूपये का फर्म कमल एण्ड कम्पनी, रिड़मलसर को कार्यादेश जारी किया गया था, जो माह 11.02.23 से शुरू होकर दिनांक 10.07.23 तक तक पूर्ण किया जाना है, जिसका प्रथम रनिंग बिल राशि 43,21,520/रूपये का कनिष्ठ अभियंता द्वारा बनाया जाकर सहायक अभियंता के मार्फत हमारे कार्यालय में भुगतान हेतु दिनांक 26.06.23 को प्रस्तुत हुआ था, उक्त कार्य श्री सतीश बंसल अधिशाषी अभियंता द्वारा जांच की जाकर बिल को पारित करते हुये दिनांक 30.06.23 को कटौतियों के उपरांत राशि 35,83,418/रूपये का चैक काटा जाकर फर्म के खाते में राशि स्थानान्तरित करवायी गई है। इसी प्रकार अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड अनूपगढ के आदेश कमांक 404–14 दिनांक 14.07.22 को राशि 1,35,83,853/रूपये का फर्म कमल एण्ड कम्पनी, रिड़मलसर को कार्यादेश जारी किया गया था, जो माह 23.07.22 से शुरू होकर दिनांक 22.03.23 तक तक पूर्ण किया जाना था, यह कार्य पूर्ण हो चुका है। इस कार्य के अंतिम बिल का दिनांक 31.03.23 को भुगतान हो चुका है। फिर उक्त दस्तावेजो की सहायक अभियंता से प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर मूल दस्तावेज वापस श्री प्रदीप सिंह वरिष्ठ सहायक कम कैशियर को सुपुर्द किये गये। तत्पश्चात आरोपी सतीश बंसल अधिशाषी अभियंता को नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार कर फर्द मुर्तिब की गई। तत्पश्चात वक्त रिश्वत लेन देन रिकॉर्ड वार्ता की डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को रूबरू गवाहान, परिवादी के सुनी जाकर फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार की गई। डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता की दो सीडी बनाई जाकर एक सीडी सील मोहर की गई तथा एक सीडी वास्ते अनुसंधान खुली रखी गई। फिर ट्रेप कार्रवाई में प्रयुक्त पीतल की सील का नमूना फर्द पर लिया जाकर फर्द नमूना सील मुर्तिब की जाकर बाद कार्रवाई पीतल की सील को नष्ट किया गया। तत्पश्चात घटनास्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका कशीद किया गया। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस ने मौका की कार्यवाही सम्पन्न होने पर परिवादी श्री कुलवंत सिंह को मौका से जाने की इजाजत देते हुये गिरफ्तारशुदा आरोपी सतीश बंसल अधिशाषी अभियंता, दोनो गवाहान व ब्यूरो स्टाफ, जब्तशुदा व बरामदशुदा माल वजह सबूत आदि के सरकारी व प्राईवेट वाहन से रवाना होकर आरोपी के कृषि उपज मण्डी समिति के राजकीय आवास पर पहूंच नियमानुसार खाना तलाशी ली जाकर फर्द खाना तलाशी मुर्तिब की गई। तत्पश्चात गिरफ्तारशुदा आरोपी सतीश बंसल अधिशाषी अभियंता, दोनो गवाहान व ब्यूरो स्टाफ, जब्तशुदा व बरामदशुदा माल वजह सबूत आदि के सरकारी व प्राईवेट वाहन से रवाना होकर राजकीय चिकित्सालय श्रीगंगानगर पहूंचा। जहां पर आरोपी सतीश बंसल का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया। तत्पश्चात मौका से मय हमराहीयान के रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय श्रीगंगानगर पहुंचा। मौके से जब्तशुदा व बरामदशुदा मालवजह सबूत छः शील्डशुदा धोवनो की शिशियां, 25,000/रू रिश्वत राशि, शील्ड शुदा पेन्ट, दो शील्डशुदा सीडी आदि श्री जगदीश राय मु0आ0 के जरिये मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर सुरक्षित मालखाना रखवाये गये व दोनो गवाहान आवश्यक हिदायत कर रूख्सत किया गया। आरोपी सतीश बंसल अधिशाषी अभियंता को माननीय सेशन न्यायालय, भ्र0नि0 श्रीगंगानगर में समक्ष पेश किया, माननीय न्यायालय द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाये जाने के आदेश फरमाने पर आरोपी को केन्द्रीय कारागृह श्रीगंगानगर में दाखिल करवाया गया।

इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी कुलवन्त सिंह पुत्र श्री गजन सिंह निवासी चक 55 एल0एन0पी0 तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर जो कृषि विपणन बोर्ड में ठेकेदारी का कार्य करता है, जिसकी कमल एण्ड कम्पनी नाम की फर्म है, परिवादी की फर्म को अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खण्ड अनूपगढ द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति रायसिंहनगर में यार्ड वर्क का कार्यादेश मिला था, जिसे माह मार्च 2023 में पूर्ण किया जाकर अंतिम बिल का भुगतान प्राप्त किया जा चुका है। इसी प्रकार परिवादी की फर्म को अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, अनूपगढ द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति रायसिंहनगर के गांव बुढा जोहड़ से चक 15 एनआरडी की 2.5 किलोमीटर डामर रोड़ बनाने का कार्यादेश राशि करीब 72 लाख रूपये का दिनांक 11.02.23 को जारी किया गया था, उक्त रोड़ का प्रथम रंनिग बिल राशि का भुगतान करने की एवज में श्री सतीश बंसल अधिशाषी अभियंता कृषि विपणन बोर्ड अनूपगढ द्वारा प्रथम रंनिग बिल राशि का 2 प्रतिशत कमीशन करीब 70 हजार रूपये तथा पूर्व में मंडी यार्ड रायसिंहनगर में करवाये गये कार्य के कमीशन के तौर पर करीब 30 हजार रूपये कुल राशि एक लाख रूपये रिश्वत की मांग की जा रही थी। जिस पर परिवादी के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 01.07.23 को करवाये गये सत्यापन में आरोपी द्वारा परिवादी से बुढाजोहड़ वाले काम के प्रथम रनिंग बिल का चैक राशि 35.83 लाख रूपये का काटते हुये परिवादी से इस राशि का दो प्रतिशत कमीशन के हिसाब से 71 हजार रूपये व पिछले काम के 30 हजार कुल राउण्ड फीगर में एक लाख रूपये रिश्वत की मांग कर परिवादी से वक्त सत्यापन 75,000/रूपये प्राप्त करना है तथा शेष 25,000/रूपये दिनांक 05.07.23 को दिया जाना तय होना, जिसके अनुशरण में दिनांक 05.07.23 को आरोपी द्वारा परिवादी से 25,000/रूपये रिश्वत के प्राप्त कर अपने पहनी पेन्ट की साईड की बांयी जेब में रखना, जहां से रिश्वत राशि बरामद होना, आरोपी सतीश बंसल के हाथो एवं रिश्वत राशि बरामदगी स्थल पेन्ट की जेब से धुलाई से प्राप्त धोवनो का रंग मटमैला व हल्का गुलाबी प्राप्त होना, वक्त सत्यापन व वक्त रिश्वत लेन देन रिकॉर्ड वार्ता में रिश्वत की मांग व रिश्वत प्राप्त करने के तथ्यों की पुष्टि होना, परिवादी के भुगतान सम्बधी कागजात आरोपी के कार्यालय से बरामद होना पाया गया है। इस प्रकार आरोपी श्री सतीश बंसल अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खण्ड अनूपगढ द्वारा उक्त पद का लोक सेवक होते हुये अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में अपने पद का दुरूपयोग कर अपनी पदीय स्थिति के तहत भ्रष्ट आचरण कर परिवादी कुलवंत सिंह से 25,000/रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) का घटित होना पाये जाने पर आरोपी सतीश बंसल अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड खण्ड अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर के विरूद्ध उक्त धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें प्रेषित है।

(भुपेन्द्र कुमार)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
श्रीगंगानगर–प्रथम

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री भुपेन्द्र कुमार,उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-प्रथम ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री सतीश बंसल, अधिशाषी अभियंता राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड खण्ड अनुपगढ जिला श्रीगंगानगर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 176/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

(रणधीर सिंह)
उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 2225-29 दिनांक 06.7.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, श्रीगंगानगर।
2. महाप्रबन्धक (प्रशासन),रा0रा0कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-प्रथम।

उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।